राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1518/2011/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–I, वृत–बी, जोधपुर ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुपर आर्टस,
जोगियों का बास, खाण्डा फलसा, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 08.12.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर II, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 16/आरवेट/जेयूबी/2009–10 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 28.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकरी, घट–I, वृत–बी, जोधपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003, (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दि. 18.03.2009 के द्वारा कायम मांग राशि रू 9,710/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार किया गया जिसको इस अपील में विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा टेक्सटाइल स्क्रीन डिजाइन्स का व्यवहार किया जाता है। व्यवहारी ने वर्ष 2006–07 में उक्त वस्तु का रुपये 6,51,618/– का विक्रय जिस पर निर्गत कर रुपये 26,065/– में से 16,386/– राजकोष में जमा कराये। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-12(28)FD/Tax/07-173 दिनांक 30.03.2007 जारी अन्य वस्तुओं के अलावा टेक्सटाइल स्क्रीन डिजाइन्स को अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि क्रमांक 84 पर प्रविष्ट किया। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2008 से अधिसूचना संख्या F.12(28)FD/TAX/07-173 के जरिये **'टेक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन्स'** को भी कर की प्रविष्टि पर सम्मिलित कर दिया गया जिससे **'टेक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन्स'** दिनांक 01.04.2006 से करमुक्त हो गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में **टेक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन्स** को दिनांक 01.04.2006 से कर मुक्त किये जाने के कारण आगत कर हेतु पात्र नहीं माना है तथा प्रत्यर्थी द्वारा वसूल कर रूपये 26,065/– को जब्त किया गया है। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित

लगातार.....2

होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जो माल विक्रय किया गया है वह By fiction of law कर मुक्त है जसकी खरीद पर चुकाये गये कर का Input Tax Credit का समायोजन देने का निर्णय वैधानिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को अनुचित बताते हुये राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी टैक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन का निर्माता व विक्रेता है। व्यवहारी द्वारा स्क्रीन डिजाइन की बिक्री दर्शाते हुये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में 4 प्रतिशत से कर वसूल किया गया तथा चतुर्थ करमुक्त दर्शाई गई। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश में टैक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन को दिनांक 01.04.2006 से करमुक्त किये जाने के कारण आगत कर हेतु पात्र नहीं माना है। यह निर्विवादित सत्य है कि टैक्सटाइल्स स्क्रीन डिजाइन को दिनांक 01.04.2006 से करमुक्त किया गया है। यह सही है कि दिनांक 01.04.2006 से टेक्सटाइल स्क्रीन डिजाइन्स को कर मुक्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, वह अविधिक है, क्योंकि करमुक्त की खरीद पर चुकाये गये आगत कर का मुजरा देना विधिसम्मत नहीं है, इसलिये अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जाता है।

परिणामस्वरूप विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य